न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–187/2019

शेख वकील एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 जावेद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.02.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर आवेदन दिनांक 16.07.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 18.02.2025 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वाद लम्बन के दौरान प्रतिवादीगण हरवे हथियार से लैश होकर दिनांक 20.06.2024 को वादग्रस्त भूमि को ट्रेक्टर से जोतवा कर धान का बीज छीट दिया। वादीगण के द्वारा पुछताछ करने पर प्रतिवादीगण गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे, बदले हुए परिस्थिति के आलोक में वादीगण को अर्जी नालिश में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। वाद प्रारंभिक अवस्था में है। प्रस्तावित संशोधन महज औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई असर नही पडता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 27.08.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण वाद में उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल किया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का दखल कब्जा दिनांक 16.07.1956 से ही है, खतियानी रैयत के पुत्र शेख बुझावन द्वारा दिनांक 16.07.1956 को शेख इस्लाम को बिकी कर दिया और दखल कब्जा दे दिया। अतः आवेदन	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–187/2019

शेख वकील एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 जावेद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.02.2025	खारिज किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद, वाद बिन्दु के सुनवाई हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2002 SC 4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. वादीगण का आवेदन दिनांक 16.07.2024 को मो0– 1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा संशोधन उपरांत सिरिस्तेदार अपना प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद दिनांक 09.04.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	